

पत्रांक:- 296/01नियो0-2(एस.डी.आर.एफ.)/2023
सेवा में,

दिनांक 01.02.2023

अधिशायी अभियन्ता (आहरण वितरण अधिकारी),
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पुरोला।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओं के पुनर्निर्माण / तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत कार्य के स्थान पर संशोधित कार्य स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 80/01नियो0-2(एस.डी.आर.एफ.)/2023 दिनांक 18.01.2023।

कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 04 नं० आगणनों पर ₹ 48.35 लाख (₹ अड़तालिस लाख पैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संदर्भित पत्र के क्रमांक 01 पर इंगित निर्माण खण्ड, पुरोला के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य में त्रुटिवश मानक से अधिक लागत स्वीकृत कर दी गयी है, जिस कारण खण्डीय अधिशायी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 257/13सी० दिनांक 08.02.2023 द्वारा उक्त स्वीकृत कार्य को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः निम्न तालिका के अनुसार निर्माण खण्ड, पुरोला में पूर्व स्वीकृत कार्य को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समस्त शर्तें पूर्व की भांति रहेंगी:-

क्र० सं०	राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य का नाम		राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य के स्थान पर संशोधित कार्य का नाम	
	कार्य का नाम	लागत	कार्य का नाम	लागत
1	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत मोरी-नैटवाड़-सांकरी परिवर्तित समरेखण मोटर पुल व किमी० 4,5,6,7,19, 20,21,22 व 23 में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	9.40 लाख	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत मोरी-नैटवाड़-सांकरी परिवर्तित समरेखण मोटर पुल व किमी० 4,5,6,7 में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	6.75 लाख
		8.89 लाख	एस.डी.आर.एफ. वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत मोरी-नैटवाड़-सांकरी मोटर मार्ग के किमी. 19,20,21,22 व 23 में क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य।	8.89 लाख
	योग	18.29 लाख	योग	15.64 लाख

Lead
2023

10/2/23
28/02/23

mrs

(अयाज अहमद)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक:- 296 / 01नियो0-2(एस.डी.आर.एफ.) / 2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान, कौलागढ़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (नियोजन/अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
8. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
10. सहायक महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, एन.सी.आर. प्लाजा, 24 न्यू कैट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
13. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0, 10-11, सहारनपुर रोड, मातावाला बाग, देहरादून।
15. सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
16. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
18.1.2023
28/02/2023